

क्रमांक-161/स्था./2015

अम्बिकापुर, दिनांक 17/07/2015

“ आदेश ”

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मन्त्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 के तहत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्राओं को सत्र 2015-16 से शिक्षण शुल्क रु. 115.00 की छूट प्रदान की जाती है।

(डॉ. ज्योति सिन्हा)

प्राचार्य

शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर.

पृ. क्रमांक-162/स्था./2015

अम्बिकापुर, दिनांक 17/07/2015

- प्रतिलिपि:-
01. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मन्त्रालय रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
 02. कार्यालयीन छात्रलिपिक।
 03. कार्यालयीन सूचना पटल।
 04. कार्यालय प्रति।

(डॉ. ज्योति सिन्हा)

प्राचार्य

शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर

o/c

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 09.2014

क्रमांक / 2653 / 2014 / 38-1 : राज्य शासन एतद द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।

2/ उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

3/ इस स्वीकृति पर वित्त विभाग की नस्ती क्र० एफ 2014-38-00364/बी-3/चार दिनांक 8.9.2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

SID
(अरुण कुमार चांद)
अवर सचिव
छ०ग० शासन
उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर दिनांक 09.2014

पृष्ठानं क्रमांक 3386/2653/2014/38-1
प्रतिलिपि -

- (1) माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर,
 - (2) प्रमुख सचिव, मान० मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, नया रायपुर,
 - (3) विशेष सहायक, मान० मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 - (4) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ०ग० शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
 - (5) सचिव, छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छ०ग०।
 - (6) महालेखाकार, रायपुर, छ०ग०।
 - (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ ग।
 - (8) कुल सचिव,
 - (9) अवर सचिव, छ०ग० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 - (10) समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय.....
 - (11) समस्त प्राचार्य, जिले के अग्रणी महाविद्यालय.....
- वैटक दिनांक 06.08.2014 को इस संबंध में दिये गये निर्देशों के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
- (11) आदेश परिलेख 1

SID
11/9/14

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग